न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 21 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 36

प्रार्थीगण

1.गुमनाराम पुत्र मूलाराम

2.जसराज पुत्र मूलाराम

3.नेमीचंद पुत्र मूलाराम

4.बाबुलाल पुत्र मूलाराम

जाति दर्जी निवासी कल्याणपुर

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.कानाराम पुत्र केसाराम

2.छगनलाल पुत्र केसाराम

3.ढलाराम पुत्र केसाराम

4.दाखु पत्नी केसाराम

जाति सुथार निवासी कल्याणपुर

5.ठाकराराम पुत्र पुनमाराम, जाति सुथार,, निवासी कल्याणपुर के कायम मुकाम:–

5/1.नारायणी पत्नी ठाकराराम, जाति सुथार

5/2.अशोंककुमार पुत्र ठाकराराम जाति सुथार

5/3.हेमाराम पुत्र ठाकराराम जाति सुथार निवासी कल्याणपुर

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

5/4.गुड़ीया पुत्री ठाकराराम, पत्नी गणपतलाल जाति सुथार, निवासी रबारियों का टांका, बालोतरा

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

5/5.मंजुदेवी पुत्री ठाकराराम, पत्नी ओमप्रकाश जाति सुथार, निवासी राठोड़ों की ढाणी,

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

5/6.कुकी पुत्री ठाकराराम, पत्नी रमेश कुमार जाति सुथार, निवासी गांव महेश नगर (मींयों कर बाड़ा)

तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

6.मांगीलाल पुत्र पूनमाराम के कायम मुकाम

6/1.पुष्पा पत्नी मांगीलाल

6/2.पपु पुत्र मांगीलाल

6/3.हरीश पुत्र मांगीलाल

6/4.उतम पुत्र मांगीलाल

6/5.ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल

6/6.पारस पुत्र मांगीलाल

6/7.शंकर पुत्र मांगीलाल जाति सुथार निवासी कल्याणपुर

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

6/8.संतुदेवी पुत्री मांगीलाल, पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

डुंगराराम जाति सुथार, निवासी गांव नेवरी
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा
7.रामूदेवी पत्नी जीताराम
जाति दर्जी
निवासी कल्याणपुर जिला बालोतरा
8.सरपंच/सचिव, ग्राम पचायत कल्याणपु,
तहसील कल्याणपुर,जिला बालोतरा
9.भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर,जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 07

2.विप्रार्थी संख्या 1 से 6 व विप्रार्थी संख्या 8 से 9 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 19.11.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 2033/381 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 2033/381 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। शेष विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 07 अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 2033/381 क्षेत्रफल 0.4532

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 2033/381 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 7 अधिवक्ता नें वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नही की गई है। इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी की जाती है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 2033/381 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 01.1.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 2033/381 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा